न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–02/2018

अखिल विश्नोई उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिए कुदरतीवली संरक्षक पिता हनुमान उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री हेतराम जाति विश्नोई निवासी चक 15 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

---प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

----अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं सठित धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक–12.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया गया वादी के पक्ष में वादी के दादा श्री हेतराम पुत्र श्री प्रभुराम जाति विश्नोई ने अपनी स्वअर्जित सम्पति कृषि भूमि वाके चक 13 एलएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.221/47 का किला नं.–7 में 8 बीस्वा व किला नं.–8,9,10 प्रत्येक सालम कुल 3 बीघा 8 बीस्वा की वसीयत अपने अन्य दो पोतो रमेश कुमार पुत्र विष्णु व सौरभ पुत्र हनुमान के साथ दिनांक 12.03.2008 को उप पंजीयक अनूपगढ से निष्पादित एवं पंजीबद्ध करवाई थी। वादी के दादा श्री हेतराम का दिनांक 29.11.2013 को देहांत हो चुका है तथा वसीयत के आधार पर तहसीलदार भू–अभिलेख अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 01.10.2014 से वादी व रमेश, सौरभ के पक्ष में इंतकाल दर्ज हो चुका है।वादी का सही व वास्तविक नाम अखिल विश्नोई है तथा वादी के शैक्षणिक दस्तावेज में वादी का नाम अखिल विश्नोई है तथा वादी वर्तमान में 12 वीं कक्षा में अध्यनरत है तथा वादी की 8 वीं, 10वीं की अंकतालिका तथा वादी के आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र व वादी की माता के नाम से बने हुये भामाशाह कार्ड में भी वादी का नाम अखिल विश्नोई अंकित है परंतु वादी के दादा ने वादी के पक्ष में वसीयत दिनांक 12.03.2008 निष्पादित करवाते समय वादी के दादा की उम्र लगभग 74 वर्ष होने तथा अनपढ़ होने के कारण दस्तोवजात में वादी का नाम क्या दर्ज है कि जानकारी नहीं थी तथा वादी को घर में बाल्यावस्था में महावीर नाम से पुकारने क कारण वसीयत में वादी का नाम महावीर अंकित करवा दिया जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम अखिल विश्नोई है जो कि उक्त वर्णित समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजात से साबित है। वादी ने अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेज व पहचान संबंधी अन्य समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादी का अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के आदेश लाने बाबत् कहा। इसलिए वादी [illegible] न्यायालय में पेश कर रहा है। अतः वादी का नाम महावीर ना होकर अखिल विश्नोई है तथा [illegible] कृषि भूमि वाके चक 13 एलएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–221/47 का किला नं.–7 में 8 बीस्वा व किला नं.–8,9,10 प्रत्येक सालम कुल 3 बीघा 8 बीस्वा में वादी का नाम दुरूस्त करने को निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक 13 एलएम का मु.नं. 221/47 का कि 7/0.101, 8 ता 10/0.759 कुल 0.860 है. कमाण्ड रकबा महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान कौम बिश्नोई साकिन 15 एलएम खातेदार दर्ज है। मौके पर उक्त रकबा पर प्रार्थी के पिता की काश्त है। चक 9 एलएम–बी के मिली जानकारी व प्रार्थी के परिवार का राशनकार्ड, दसवीं की अंकतालिका के अनुसार प्रार्थी का नाम अखिल बिश्नोई पुत्र हनुमान है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड क्रमांक 405312483344, परिवार राशन कार्ड सं. 0039 ग्राम पंचायत 20 एलएम लुणियॉ की नाम सूचि की क्रम सं. 04 पर अंकित नाम व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 2016 क्रमांक 0062945 दिनांक 09.06.2016 की चित्रप्रति का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी का नाम अखिल बिश्नोई पुत्र हनुमान है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे चाही गयी दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में महावीर प्रसाद के स्थान पर महावीर प्रसाद उर्फ अखिल विश्नोई का नाम दर्ज करवाने संबंधी स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 13 एलएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 221/47 का किला नं.–7 में 8 बीस्वा व किला नं.–8,9,10 प्रत्येक सालम कुल 3 बीघा 8 बीस्वा कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम महावीर प्रसाद के स्थान पर महावीर प्रसाद उर्फ अखिल बिश्नोई का अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner